

पत्रांक:- BMSIC/80050/10-2017/8446

दिनांक:- 03/02/2022

प्रेषक,

इन्द्रजीत कुमार,
मुख्य महाप्रबंधक (परि०),
बी.एम.एस.आई.सी.एल., पटना।

सेवा में,

युनाइटेड इन्फ्रा एण्ड इन्डस्ट्रीज
दानापुर कैम्प, पटना।

विषय:-एम.एस.डी.पी योजनान्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र ग्राम-करुआ रहिका, बेलाहाट, रामनगर, रामपुर एवं रोस्का कोशागढ प्रखंड-के० नगर जिला-पूर्णिया के भवन निर्माण कार्य में विलंब के कारण डिबार करने के संबंध में।


महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित कार्य का निर्माण कार्य आपके फर्म को अंवाटित किया गया है, जिसका कार्यादेश दिनांक-02.06.2017 को निर्गत है। कार्यादेशनुसार इस कार्य को 08 माह के अंदर पूर्ण किया जाना निर्धारित है। परंतु लगभग 04 वर्ष 07 माह के अवधि समाप्त होने के उपरांत भी आज तक आपके द्वारा विषयांकित कार्यों के अंतर्गत किसी भी कार्यस्थलों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि आपके अनुरोध पर कार्यस्थल पर आयी बाधा हेतु विषयांकित कार्य के एकरारनामा को दिनांक-26.11.2021 तक विस्तारित किया गया है। परंतु अवधि विस्तार प्रदान के उपरांत भी आपके द्वारा किसी भी स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। साथ ही अनिवार्य रूप से सभी कार्य को बंद कर दिया गया है।

विदित हो कि निगम के पत्रांक-6606 दिनांक-09.12.2021 के माध्यम से विषयांकित परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के संबंध में आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में आपके स्तर से विलंब से कार्य करने हेतु कोई जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया है।


अतः एकरारनामा की कड़िका 3.3 एवं 4.8 के अनुसार जिला-पूर्णिया प्रखंड-के नगर के ग्राम-ग्राम-करुआ रहिका, बेलाहाट, रोस्का कोस्कागढ, रामपुर एवं रामनगर स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवनों का निर्माण कार्य को पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित डिबार (Debar) किया जाता है, साथ ही निर्देश दिया जाता है कि कार्य में प्रगति लाते हुए शेष निर्माण कार्य को अविलंब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्य पूर्ण नहीं करने पर कार्य का एकरारनामा रद्द कर आपके सुरक्षित जमा राशि को जब्त करते हुए आपके विरुद्ध नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

विश्वासभाजन


मुख्य महाप्रबंधक (परि०),
दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

प्रतिलिपि:- पर्यवेक्षण परामर्शी, शिवा कन्सलटेन्सी प्रा० लि०, नई दिल्ली/ प्रबंधक (परि०), पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित संवेदक से संपर्क स्थापित कर विषयांकित योजना का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ कर सुनिश्चित करें।


मुख्य महाप्रबंधक (परि०),



ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, पूर्णिया को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाईट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

४